

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 23.07.2026

थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

- ☐ चन्दौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ व नशीली दवाओं की तस्करी के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही जारी।
- ☐ थाना अलीनगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, लावारिस खड़े ट्रक से 7200 शीशी (720 लीटर) अवैध कोडीन कफ सिरप व एस्कफ सिरफ बरामद।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रिंग रोड के कोरी अंडरपास के पास से एक संदिग्ध लावारिस ट्रक (वाहन सं० UP74Y4726) को कब्जे में लेकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के डाले में मुर्गी के दाने के नीचे छिपाकर रखी गई कुल 72 पेटी में 7200 शीशी (720 लीटर) अवैध कोडीन कफ सिरप व एस्कफ सिरफ बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु०अ०सं० 0458/2026 धारा 8/21 NDPS Act व 18A/28/18C/27B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 22.07.2026 को समय लगभग 17.00 बजे थाना अलीनगर पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रिंग रोड पर कोरी अंडरपास के पास एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुँची और वाहन संख्या UP74Y4726 (चेसिस नं० MB1NACHD8HPAZ5904, इंजन नं० HAPZ128775) की जाँच की।

ट्रक के डाले की गहन तलाशी लेने पर 20 बोरी मुर्गी के दाने के नीचे छिपाकर रखी गई कुल 36 बोरियाँ बरामद हुईं।

18 बोरियों में 36 पेटी (3600 शीशी, 360 लीटर) **FAIRDYL NEW (कोडीन युक्त कफ सिरप)

18 बोरियों में 36 पेटी (3600 शीशी, 360 लीटर) **एस्कफ सिरप (कोडीन युक्त कफ सिरप)

मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर चन्द्रेश कुमार द्विवेदी को बुलाकर नियमानुसार परीक्षण कराया गया तथा नमूना माल जाँच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया है। इसके अतिरिक्त ट्रक के केबिन से एक जीपीएस डिवाइस (Fleetx) मय सिम बरामद किया गया है।

वाहन स्वामी एवं अभियुक्त विवरण-

वाहन स्वामी: राहुल कुमार पुत्र जमादार सिंह, निवासी नासूपुर सजेती, पोस्ट मण्डई, फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश।

(प्रकरण में संलिप्त फारवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज की जानकारी की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।)

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0458/2026* धारा 8/21 NDPS Act एवं 18A/28/18C/27B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

अवैध कोडीन/एस्कफ कफ सिरप: कुल 72 पेटी (7200 शीशी - 720 लीटर)

वाहन: 01 ट्रक (पंजीकरण सं0 UP74Y4726)

अन्य: 01 जीपीएस डिवाइस मय सिम (Fleetx)